कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/स्थानांतरण/2019–20/1–575 दिनांक–29.09.2019 के तहत् अमर सिंह व्याख्याता भूगोल राउमावि लालासी, लक्ष्मणगढ सीकर का स्थानांतरण राउमावि. रूपलीसर, सरदारशहर, चूरू में किया गया। अमर सिंह ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 9008/2020 अमर सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 9008/2020 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2020 द्वारा याचिकार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने एंव प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण किये जाने हेतु आदेशित किया है ।

माननीय न्यायालय के निर्णय के कम में याचिकार्थी अमर सिंह ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने भूतपूर्व सैनिक होने, पुत्र–पुत्री के अध्ययन में बाधा एंव पत्नी के इलाज के आधार पर अपना पदस्थापन 01. राउमावि. जांटवाली (216033) 02. राउमावि. डूमरा (216040) 03. राउमावि. निवाई (216051) 04. राउमावि. छापोली (216141) 05. राउमावि. जीणमाता (213350) 06. राउमावि. जीनवास (213351) 07. राउमावि. नोरंगसर (215436) 08. राउमावि. दूधवालों का बास (219192) में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

याचिकार्थी से संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त प्रकरणों को स्थानातंरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान थे। याचिकार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता हैं। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी द्वारा अपने स्थानांतरित स्थान पर 07.10.2019 को कार्यग्रहण कर चुका है। अतः याचिकार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता हैं। संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/अमरसिंह 9008/20/4

दिनांकः–26/11/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा ।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
8. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

abhyavedan